(2) (1)

क्रमांक 25 / दिनांक 23-1-15

प्रतिलिपि :- 1. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खगड़िया एवं अंचल अधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. D.I.O. खगड़िया को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया
23/1/15

30/01/15
Time- 11:15 AM

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

जमाबंदी सुधार रिभीजन वाद सं0—19 / 14

सोनेलाल पासवान...पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

....राज्य...

आदेश

21.01.15

पुनरीक्षणकर्त्ता सोनेलाल पासवान पे0—प्रकाश पासवान साकिन महदाघाट थाना—गोगरी, जिला—खगड़िया ने खतियानी रैयत के वंशज होने का दावा करते हुए कहा है कि जमीन पर उनका दाखल है पर लगान रसीद निर्गत नहीं किया जाता है। अमीन एवं कर्मचारी अधूरा रिपोर्ट दाखिल किया है। निम्न न्यायालय में सम्पूर्ण रिपोर्ट मंगाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु 10.03.2014 को गलत आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर यह रिभीजन वाद दायर किया है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय खतियान को अवैध घोषित कर बड़ी भूल की है तथा कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने दखल के बिन्दु पर भी निम्न न्यायालय का आदेश पर विरोध प्रकट किया है।

जमीन का ब्यौरा देते हुए बताया है कि जमाबंदी सं0—29, रकवा—7 बिघा 19 कठ्ठा 11 धूर मौजा सानवर्षा, थाना नं0—171, तौजी नं0—6069 जमाबंदी रैयत किरतु हाजरा एवं मौजा खरैता तौजी नं0—4919, थाना नं0—124, रकवा—5 बीघा 7 कठ्ठा 6 धूर जमाबंदी नं0—83, जमाबंदी रैयत—किरतु हाजरा पे0—धीरज हाजरा की है। उन्होंने वंशावली भी अपनी अर्जी में देते हुए धीरज हाजरा का वंशज बताया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0—19 / 2012 में दिनांक—29.07.14 को पारित आदेश का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने आदेश में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षणकर्त्ता ने जिस मौजा का खतियान प्रस्तुत किया है चौथम अंचल में वह मौजा है ही नहीं। खतियान में जो तौजी नं0 दिखाया गया है वह नवादा मौजा का है। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति मुंगेर अभिलेखागार से लाया गया है जो छदम प्रतीत होता है।

खेसरा 34 का खाता 29 अमीन ने गैर मजरूआ खास ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर बताया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का यह टिप्पणी की आवेदक ने मूल खतियान की सच्ची प्रतिलिपि मूल में कभी अवलोकन नहीं कराया न ही रिर्टन की मूल प्रति दाखिल किया यह पुनरीक्षणकर्त्ता के दावा को क्षीण करता है।

इस न्यायालय में भी पुनरीक्षणकर्त्ता ने न तो खतियान की सच्ची प्रतिलिपि न ही रिर्टन की मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जब कि इसी के आधार पर अपना दावा पेश करते है।

विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0—19 / 2014 में दिनांक—10.03.14 में पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हुए उसे बहाल रखा जाता है तथा पुरनीक्षणकर्त्ता का पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, चौथम को आदेश दिया जाता है कि गहण जॉचोपरान्त जमीन बिहार सरकार पाये जाने पर इसे सुयोग्य श्रेणी के बीच नियमाकुल वितरण करने की कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित।

21.1.15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

21.1.15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।